

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सोना में,

अध्यक्ष/सचिव
श्रीमती शांति देवी मैमोरियल ट्रस्ट,
पता-शैलमण्डी, जसवंतनगर, इटावा।
संस्था का नाम सतीष कॉलेज ऑफ फार्मसी,
पता कचौरा रोड, जसवंतनगर, इटावा।

पत्रांक प्राशिप/परिषद/2022/8563

लखनऊ दिनांक - 06-09-2022

विषय:- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0) के पत्रांक 14-56/2022-PCI(B)(Moratorium)/13220-22,14-56/2022(Approval Process for 2022-2023 as) (New Instt) Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 30 अगस्त 2022 को सदमित करने का कष्ट करे, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को "उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम-1962 (यथासंशोधित) 1974" की धारा-12(1) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पी0सी0आई0, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0), नई दिल्ली के संदर्भ संख्या 14-56/2022-PCI(B)(Moratorium)/13220-22,14-56/2022(Approval Process for 2022-2023 as) (New Instt) Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 30 अगस्त 2022 एवं इस संबंध में निर्गत पी0सी0आई0 के पूर्व पत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने से पूर्व परिषद द्वारा आहूत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की बैठक हेतु प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति/अनापत्ति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही पी0सी0आई0 एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर कराया जाएगा। पी0सी0आई0/परिषद के मानकों के क्रम में दिये गये अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

Rajesh Kumar
PRINCIPAL
Santosh College of Pharmacy
Kachhaura Road Jaswant Nagar
Etawah

भवदीय,
Shan
(एफ0 आर0 खान)
सचिव

पू0स0- प्राशिप/परिषद/2022/8563 तददिनांक- 06-09-2022
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचना एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, एन0बी0सी0सी0, सेण्टर तृतीय तल, प्लाट नं0 2, कम्युनिटी सेण्टर, मां आनन्दमई, मार्ग, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020

(एफ0 आर0 खान)
सचिव